

कार्यालय मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद ।

पत्रांक :- 5/53 / 46 अ. मु0क्षे0/17

दिनांक- 26-7-20

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सम्भल ।

विषय :- ग्राम-चन्दावली तहसील व जिला-सम्भल स्थित गाटा सं0-151/2 बदायूँ बिल्सी-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) पर रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 2421/4/रीडर-अ0प्र0पत्र/2016-17 दिनांक 28.04.2017

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के पत्रांक-3210/105काम-मु0क्षे0/17 दिनांक 24.07.2017 द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारताय में ग्राम-चन्दावली तहसील व जिला-सम्भल स्थित गाटा सं0-151/2 बदायूँ-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लिमिटेड को निम्न शर्तों के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है :-

- 1- गानचित्र मानक के अनुसार बने है।
- 2- प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- 3- आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा-13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचारार्थीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
- 4- प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
- 5- प्रस्तावित स्थल बदायूँ-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) के कि0मी0 99, चैनैज 98.400 के बायीं ओर स्थित है।
- 6- प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
- 7- रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 05 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेगियर नहीं है।
- 8- बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 23.00 मी0 है।
- 9- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये।
- 10- आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की गन्ध रेखा से बफर स्ट्रिप 22.86 मी0, पम्प 33.86 मी0, 43.86 मी0 एवं भवन निर्माण 51.66 मी0 की दूरी पर है।

क- आवेदक को रिटेल आउटलेट इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लिमिटेड पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से गान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग तथा 7.00 मी0 चौड़ाई की सर्विस रोड का निर्माण लो0नि0वि0, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र(Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जगा करायी जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

ख- आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संभालन में अवरोध न होने पाये।

ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बाह्य इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आवे तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिये एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

घ- फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जायेगा।

- 11- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्मान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 मी0 चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर रीटेल पाईप के केंद्रिल केयर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्रकृति, नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले

- को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
- 12- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
 - 13- बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
 - 14- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 की दूरी के कम पर कोइं भवन निर्माण नहीं होना चाहिये।
 - 15- प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहियें।
 - 16- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - 17- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता प्रन्तीय खण्ड, लो0नि0वि, सम्भल से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।
 - 18- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोइं उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 - 19- लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0-33023-19/99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईडलाईनों का अनुपालन करना होगा।

संलग्न:- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।

2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।

3-भू0स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी एव सेल डीड।

4-लोज डीड एग्रीमेन्ट।

5-अधी0अभि0, मु0बाद का पत्र सं0-3210/

105काम-मु0वृत्/17 दि0 24.07.2017 के पत्र की छाया प्रति।

26/07
(एस0पी0 पाण्डेव)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके पत्र दिनांक 24.07.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

मुख्य मण्डल विित्त मन्त्रालय
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, Moradabad Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
कोल्ड स्टोरेज के मसले दिल्ली रोड, एन.एच. 24
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H. 24
पिन कोड 244102 (उ.प्र.)
P.O. Parbaha, Moradabad-244102(U.P.)